# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/पीएसपी–सी/विविध–बाल आयोग/2019 दिनांक :– 14.3.19

1. संयुक्त निदेशक,
   स्कूल शिक्षा संभाग– समस्त।
2. मुख्य जिला शिक्षा,अधिकारी
   स्कूल शिक्षा, जिला– समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय
   माध्यमिक शिक्षा, जिला– समस्त

विषयः– फीस संबंधी कारणों से बच्चों को शिक्षा एवं परीक्षा में बैठने से वंचित नही करने के संबंध में।

प्रसंगः– राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पत्रांकः एफ 2 ()/बाल आयोग/18–19/7151–52 दिनांकः 11.03.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों को फीस या अन्य किसी कारण से शिक्षा व परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है, जिससे छात्र/छात्रा का पूरा सत्र, खराब हो जाता है। उक्त प्रकरण को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को फीस संबंधी कारणों से शिक्षा प्रदान करने तथा परीक्षा में बैठने से वंचित नही किया जा सकता है।

अतः उक्त संबंध में आप अपने अधिनस्थ समस्त निजी विद्यालयों को निर्देशित करावें कि किसी भी बच्चे की फीस बकाया होने के स्थिति में उसे परीक्षा से वंचित नही करें एवं परीक्षा परीणाम जारी करने से पूर्व विद्यार्थी के अभिभावक से फीस जमा कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावें एवं अधिनस्थ कार्यालयों को भी उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करने हेतु पाबन्द करावें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान 2 जलपथ, गॉधी नगर, जयपुर को उनके पत्रांकः एफ 2 () बाल आयोग/18.–19/7151–52 दिनांकः 11. 03.19 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ कराने हेतु प्रेषित है।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।